न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर–प्रथम, जयपुर

अपील संख्याः 01/2025 GCMS No.—2025/88

गोपाल पुत्र श्री रामेश्वर उर्फ महादेव, जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

...प्रार्थी

बनाम

1. बिहारी लाल शर्मा पुत्र श्री खेमचन्द जाति बागडा ब्राहम्ण, निवासी बागडो का बड, कस्बा सांगानेर, जिला जयपुर।
2. तहसीलदार, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर (राजस्थान)।

.....अप्रार्थीगण

अवमानना प्रार्थना पत्र

उपस्थितः–

1. श्री अरूण कुमार गोयल, प्रवीण शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांकः 26.09.2025

प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र न्यायालय हाजा के अपील संख्या 160/23 बउनवानी गोपाल बनाम तहसीलदार सांगानेर निर्णय दिनांक 19.03.2025 के संबंध में न्यायालय हाजा में दिनांक 23.04.2025 को पेश किया गया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये। अप्रार्थी संख्या 1 को रजि0 नोटिस जारी किये जाने के बावजूद न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आये। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित आये। प्रकरण में तहसीलदार सांगानेर द्वारा जवाब जरिये पत्रांक 256 दिनांक 02.05.2025 प्रस्तुत किया गया। वकील प्रार्थी पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गयी।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा दौराने बहस कथन किया गया अप्रार्थी संख्या दो द्वारा अप्रार्थी संख्या एक के हक में ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर स्थित भूमि खसरा नंबर 446, रकबा 0.25 हैक्टेयर, खसरा नंबर 447 रकबा 0.28 हैक्टेयर के बाबत तथाकथित विक्रय पत्र के आधार पर दिनांक 02.08.2021 को आदेश से खोले गये नामान्तकरण संख्या 201 को निरस्त करने बाबत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 के तहत अपील संख्या 160/23 बउनवानी गोपाल बनाम तहसीलदार सांगानेर पेश की थी। उक्त विक्रय पत्र को निरस्त करने बाबत सिविल न्यायालय में दावा विचाराधीन होने के संबंध में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा स्वीकार किया गया है। न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 19.03.2025 द्वारा अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर के आदेश दिनांक 05.08.2021 जो नामान्तकरण संख्या 201 के बाबत था निरस्त किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को उभय पक्षो की सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय करने के आदेश के साथ प्रकरण रिमाण्ड किया गया।

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

अप्रार्थी संख्या 1 को माननीय न्यायालय हाजा के आदेश की जानकारी दिनांक 19.03.2025 को ही हो गयी थी। प्रार्थी ने दिनांक 25.03.2025 को माननीय न्यायालय के आदेश के प्रति के साथ प्रार्थना पत्र अप्रार्थी संख्या दो के यहां प्रस्तुत किया एवं नामान्तकरण संख्या 201 पर निरस्ती का नोट लगाने का निवेदन किया। तहसीलदार सांगानेर ने प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को दिनांक 26.03.2025 को रीडर के नाम मार्क कर किया एवं दिनांक 28.03.2025 को पटवार हल्का श्रीराम की नांगल से प्रकरण में मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 ने बावजूद लिखित सूचना नामान्तकरण संख्या 201 के निरस्ती का नोट राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में अंकित नहीं किया एवं इसका फायदा उठाकर अप्रार्थी संख्या 1 ने निरस्त हो चुके नामान्तकरण से खातेदारी अधिकारो के विपरीत जाकर दिनांक 26.03.2025 को खसरा नंबर 447 रकबा 0.28 हैक्टेयर की भूमि बाबत उपपंजीयक जयपुर द्वादश के यहां जरिये नुमाईशी विक्रय पत्र घनश्याम शर्मा को एवं दिनांक 26.03.2025 को खसरा नंबर 723/446 रकबा 0.22 हैक्टेयर की भूमि उपपंजीयक जयपुर द्वादश के यहां जरिये नुमाईशी विक्रय पत्र गणेश बागडा को बेचान कर दी। इन विक्रय पत्रों में अप्रार्थी संख्या 1 ने वास्तविक तथ्यो को छुपाया है। अप्रार्थी संख्या 2 को प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने के बावजूद विक्रय पत्रों के आधार पर अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 03.04.2025 को (घनश्याम शर्मा के हक में) एवं नामान्तकरण संख्या 296 दिनांक 29.03.2025 को (गणेश बागडा के हक में) तस्दीक कर दिये। अप्रार्थीगण द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 19.03.2025 को दरकिनार कर आदेश को निष्फल करने के आशय से राजस्व रिकॉर्ड में बिना कोई जांच किये एवं प्रार्थी को सुनवाई का अवसर प्रदान किये जो फेरबदल किया है, वह माननीय न्यायालय के आदेश की खुलम–खुल्ला अवहेलना करने की श्रेणी में आता है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2025 अंर्तगत भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत निर्णय दिनांक 29.08.2025 भी पारित कर दिया गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को न्यायालय के आदेश की अवमानना करने का दोषी करार कर दण्डित किये जाने एवं राजस्व रिकॉर्ड में दिनांक 25.03.2025 के पूर्व की बहाली कर नामान्तकरण संख्या 201 को निरस्त करने का नोट राजस्व रिकॉर्ड में अंकित कराया जावे।

पैरोकार सरकार द्वारा कथन किया गया कि तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्राप्त जवाब दिनांक 02.05.2025 अनुसार न्यायालय हाजा द्वारा नामान्तकरण संख्या 201 को न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त किया जाकर प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र तहसील के आदेश कमांक/रीडर/190 दिनांक 28.03.2025 से पटवारी हल्का को पालना हेतु प्रेषित किया गया। रिपोर्ट पटवारी अनुसार नामान्तकरण

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

संख्या 296 स्वतः दिनांक 29.03.2025 को व नामान्तकरण संख्या 298 दिनांक 01.04.2025 को दर्ज कर दिनांक 03.04.2025 को तस्दीक किया गया है। ग्राम बक्सावाला का नामान्तकरण तस्दीक हेतु तत्कालीन समय पर राजस्व अधिकारी नायब तहसीलदार के पास कार्यभार रहा है। राजकीय अवकाश होने के कारण तथा तत्कालीन पटवारी हल्का का अतिरिक्त चार्ज के आदान प्रदान के कारण हाल पटवारी को उक्त निर्णय की प्रति दिनांक 03.04.2025 को प्राप्त हुई। तत्कालीन पटवारी हल्का द्वारा चार्ज आदान प्रदान करने के दौरान निर्णय की प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण नायब तहसीलदार के संज्ञान में प्रकरण नहीं होने से नामान्तकरण संख्या 298 तस्दीक हुआ है। माननीय न्यायालय के आदेश की अवमानना नहीं की गयी है। न्यायालय के आदेश दिनांक 19.03.2025 की पालना में पक्षकारान की नियमानुसार सुनवाई कर आदेश दिनांक 29.08.2025 पारित कर दिया गया है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम) जयपुर

विद्वान उपस्थित अधिवक्ता प्रार्थी पक्ष एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज एवं नामान्तकरणो की छायाप्रति का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। न्यायालय हाजा में प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 160/23 बउनवानी गोपाल बनाम तहसीलदार सांगानेर में पारित निर्णय दिनांक 19.03.2025 अनुसार अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर तहसीलदार सांगानेर का आदेश दिनांक 05.08.2021 बाबत नामान्तरकरण संख्या 201 वाके ग्राम बक्सावाला, तहसील सांगानेर निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, सांगानेर को उभय पक्षकारान को विधिवत नोटिस जारी कर, नियमानुसार सुनवाई का समुचित अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करने हेतु प्रकरण रिमाण्ड (**Remand**) किया गया। प्रार्थी द्वारा तहसीलदार सांगानेर के समक्ष निर्णय दिनांक 19.03.2025 के संबंध में प्रार्थना पत्र दिनांक 26.03.2025 को प्रस्तुत किया एवं तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश दिनांक 28.03.2025 से पटवारी हल्का को मौका एवं राजस्व रिकॉर्ड की रिपोर्ट हेतु प्रेषित किया। अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नहीं रहा है एवं अपीलाधीन आराजीयात खसरा नंबर 447, 723/446 के संबंध में दो विक्रय पत्र निष्पादित हुये तथा उक्त विक्रय पत्रों के आधार पर नामान्तकरण संख्या 296, 298 नायब तहसीलदार सांगानेर द्वारा तस्दीक किये गये। तहसीलदार सांगानेर से प्राप्त जवाब अनुसार नामान्तकरण संख्या 296 स्वतः तस्दीक हुआ है एवं पटवारी हल्का के चार्ज आदान प्रदान के कारण न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.03.2025 की प्रति प्राप्त नहीं होने के कारण नामान्तकरण संख्या 298 तस्दीक हुआ है। न्यायालय हाजा द्वारा निर्णय दिनांक 19.03.2025 की पालना के संबंध में तहसीलदार सांगानेर को पत्रांक 233 दिनांक 15.04.2025 को प्रेषित किया गया है। प्रार्थी द्वारा अवमानना प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर अपीलाधीन आराजीयात के संबंध में

अतिरिक्त कलक्टर (प्रथम)
जयपुर

न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 24.04.2025 द्वारा प्रार्थी को स्थगन अनुतोष प्रदान किया गया था एवं तहसीलदार सांगानेर को न्यायालय हाजा के आदेश दिनांक 21.05.2025 द्वारा अपील संख्या 160/23 में पारित निर्णय को दृष्टिगत रखते हुए रिव्यू की हद तक राजस्व रिकॉर्ड की यथास्थिति हटाये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज के अवलोकन से जाहिर है कि न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.03.2025 की पालना में तहसीलदार सांगानेर द्वारा प्रकरण संख्या 12/2025 अर्न्तगत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 135(2) के तहत दर्ज किया गया एवं उभयपक्षकारान की सुनवाई की जाकर तहसीलदार सांगानेर द्वारा निर्णय दिनांक 29.08.2025 पारित किया गया है। एल.आर.एक्ट की धारा 135(2) के तहत पारित निर्णय का श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। यदि प्रार्थी तहसीलदार सांगानेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 29.08.2025 से असंतुष्ट है तो वे सक्षम स्तर पर चाराजोई हेतु स्वतंत्र है। तहसीलदार सांगानेर द्वारा न्यायालय हाजा के निर्णय दिनांक 19.03.2025 की पालना में उभयपक्षकारान की सुनवाई की जाकर प्रकरण में आदेश 29.08.2025 पारित किया जा चुका है। इसलिए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं पाते है।

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अवमानना प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। निर्णय की प्रमाणित प्रति अधीनस्थ न्यायालय को नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.09.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

(विनीता सिंह)
अति.कलक्टर–प्रथम,
जयपुर